उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

दिनांक : 09 जनवरी, 2006

संख्या : 21–काविनी (29)/पाकालि/2006–14–काविनी/87 टी.सी.

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में विभागीय चयन समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर भरे जाने वाले सभी संवर्गों के पदों पर "श्रेष्ठता" एवं "अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता" के मापदण्डों के आधार पर प्रोन्नति किये जाने से संबंधित प्रक्रिया विषयक पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1327–काविनी/राविप–29/96–14 काविनी/87, दिनांक 11 जुलाई, 1996 में निर्दिष्ट "अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता" मापदण्ड पर आधारित चयनों हेतु निम्नांकित प्राविधान :–

"चयन तथा चयन सूची को तैयार किया जाना।

(क) अधिशासी अभियंता एवं अन्य संवर्गों के समकक्ष स्तर तक के पदों पर प्रोन्नति हेतु "अनुपयुक्त" ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों (दण्ड के फलस्वरुप मानी गई खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए) की संख्या चार अथवा उससे अधिक है।

प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो वार्षिक गोपनीय आख्यायें, अन्तिम वर्ष को सम्मिलित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा।

दस वर्ष से कम की विचारणीय सेवा अवधि के मामलों में उपर्युक्तानुसार खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों की संख्या 40 (चालीस) प्रतिशत अथवा उससे अधिक होगी।"

के आंशिक संशोधन में निर्गत् कार्यालय ज्ञाप संख्या 1585–काविनी/राविप–29/2000–14 काविनी/87, दिनांक 11 जनवरी, 2000 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 1252–काविनी/पाकालि–29/2001–14 काविनी/87, दिनांक 29 अगस्त, 2001 में निहित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में एवम् अन्तिम अवसर पर निर्गत् कार्यालय ज्ञाप संख्या 1252–काविनी, दिनांक 29 अगस्त, 2001 में निर्गत मध्यवर्ती कार्यालय ज्ञाप संख्या 1585–काविनी, दिनांक 11 जनवरी, 2000 का उल्लेख ना होने के कारण, प्रश्नगत् उपर्युक्त प्राविधान की वर्तमान में संशोधित प्रभावी स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती है :–

वर्तमान में प्रभावी व्यवस्था

"चयन तथा चयन सूची को तैयार किया जाना।

(क) अधिशासी अभियंता एवं अन्य संवर्गों के समकक्ष स्तर तक के पदों पर प्रोन्नति हेतु "अनुपयुक्त" ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों (दण्ड के फलस्वरुप मानी गई खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए) की संख्या चार अथवा उससे अधिक है।

प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से कोई दो वार्षिक गोपनीय आख्यायें ठीक होना आवश्यक होगा। अन्तिम वर्ष की वार्षिक गोपनीय आख्या को लघु दण्ड के कारण खराब माने जाने या अन्यथा के बारे में निर्णय सम्बन्धित चयन समिति द्वारा लिया जायेगा।

दस वर्ष से कम की विचारणीय सेवा अवधि के मामलों में उपर्युक्तानुसार खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों की संख्या 40 (चालीस) प्रतिशत अथवा उससे अधिक होगी।"

(1)

प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया के मापदण्ड

विभागीय चयन समिति की अनुशंसा पर परिषद में भरे जाने वाले सभी संवर्गों के पदों पर "श्रेष्ठता" एवं "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" दोनों प्रकार के मापदण्ड के आधार पर प्रोन्नति हेतु किए जाने वाले चयन की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

1. जहाँ मापदण्ड "श्रेष्ठता" है :-

मुख्य अभियंता (स्तर-I)/(स्तर-II) एवं समकक्ष पदों हेतु चयन इस मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा ।

(1) पात्रता

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ग अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ज्येष्ठतम अर्ह अभ्यर्थियों की अलग-अलग पात्रता सूची तैयार की जायेगी जिसमें यथा संभव वर्ग विशेष की रिक्तियों की संख्या के तीन गुना, किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे ।

परन्तु अग्रेतर प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष की रिक्तियों के लिए की जाती है तब उस स्थिति में अलग-अलग वर्षों के सम्बन्ध में अलग-अलग पात्रता सूची तैयार की जायेगी तथा ऐसी सूची बनाते समय उसमें पात्र अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार रखी जायेगी :-

(क) दूसरे वर्ष के लिए - उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ।

(ख) तीसरे वर्ष के लिए - उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम व द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ।

(2) चयन हेतु विचारणीय अवधि

(क) प्रोन्नति हेतु जिस वर्ष की रिक्तियों के आधार पर विचार होना हो उससे पिछले दस वर्ष की अवधि की चरित्र पंजिका की प्रविष्टियों/सेवा अभिलेखों पर विचार किया जायेगा ।

(ख) पिछले दस वर्ष की अवधि में दो वर्षों की अवधि तक की प्रविष्टियाँ उपलब्ध न होने की दशा में उपलब्ध वर्षों की प्रविष्टियों के वार्षिक औसत के आधार पर दस वर्षों की प्रविष्टियों के अंकों की गणना की जायेगी ।

(ग) पिछले दस वर्षों की अवधि में तीन अथवा उससे अधिक वर्षों की प्रविष्टियाँ उपलब्ध न होने पर उतनी अवधि की पिछले दस वर्षों से ठीक पूर्व की उपलब्ध प्रविष्टियाँ विचार में ली जायेंगी ।

(घ) तीन महीने से कम अवधि की प्रविष्टियाँ, अंकों की गणना हेतु विचार में नहीं ली जायेंगी ।

(ङ) वर्ष विशेष में कम से कम चार माह अथवा उससे अधिक की प्रविष्टि उपलब्ध होने पर, उस प्रविष्टि को, पूरे वर्ष की प्रविष्टि माना जायेगा।

(ख) किसी भी अवधि की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न होने की दशा में सम्बन्धित वर्ष के बाद के लगातार तीन वर्षों तक सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने से पूर्व [illegible] अधिकारी को चयन हेतु उपयुक्त नहीं माना जायेगा ।

(III) चयन समिति

विभिन्न विनियमों/परिषदादेशों (यथा संशोधित) द्वारा घोषित चयन समिति का गठन किया जायेगा ।

(IV) चरित्र पंजिका के अभिलेख

परिषदादेश संख्या 6900-सी.एक्स./85-9सी.एक्स/78, दिनांक 30.5.1985, अन्य संगत आदेशों एवं उनके संशोधन यदि कोई हो, के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(V) वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का मूल्यांकन

(1)	उत्कृष्ट (आउटस्टेडिंग)	–	20 अंक
(2)	अति उत्तम (वेरी-गुड)	–	16 अंक
(3)	उत्तम (गुड)	–	12 अंक
(4)	सामान्य (फेयर-सेटिसफेक्टरी)	–	6 अंक
(5)	खराब (पुअर)	–	कोई अंक नहीं

प्रतिवेदक, समीक्षक एवं अन्तिम अधिकारी द्वारा दी गई भिन्न-भिन्न कोटियों के आधार पर निम्नानुसार मूल्यांकन किया जायेगा :-

(1)	प्रतिवेदक अधिकारी	20 प्रतिशत
(2)	समीक्षक अधिकारी	30 प्रतिशत
(3)	अन्तिम अधिकारी	50 प्रतिशत

यदि प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि, प्रभावी अधिकारी द्वारा प्रत्यावेदन करने पर पुनर्विचारोपरांत समाप्त कर दी गई है तो उस अवस्था में समीक्षक अधिकारी द्वारा दी गई टिप्पणी को संज्ञान में लिया जायेगा ।

(VI) ऋणात्मक अंकों का अर्जन

(क) निन्दा प्रविष्टि हेतु 6 अंक प्रति निन्दा प्रविष्टि घटाये जायेंगे। कोई भी निंदा प्रविष्टि सम्बन्धित अधिकारी के स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत ही दी जाय ।

(ख) अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप वार्षिक वेतन वृद्धि रोका जाना/आर्थिक क्षति की प्रत्यापूर्ति जैसे दण्ड पर छः से बारह अंक घटाये जायेंगे। अंक घटाते समय पाई गई अनियमितता किस प्रकार की और किस पद एवं वर्ष से सम्बन्धित है, इसका ध्यान रखा जायेगा ।

|iii| [illegible] के कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रदत्त दण्ड पर बीस अंक तथा आलोच्य अवधि के कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रदत्त दण्ड पर तीस अंक घटाये जायेंगे।

|ix| प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों का श्रेणीकरण

श्रेणी-1 नब्बे |90| प्रतिशत या 180 अंक, अथवा अधिक, अर्जित करने वाले अभ्यर्थी श्रेणी-1 में वर्गीकृत होंगे। इस श्रेणी हेतु अंकों का आंकलन विगत विचारणीय दस वर्षों की प्रविष्टियों पर किया जायेगा। विचारणीय अवधि |दस वर्ष| के अंतर्गत ऐसी प्रविष्टियाँ उपलब्ध न होने की अवस्था में विचारणीय अवधि से ठीक पूर्व की ऐसी प्रविष्टियाँ विचार में ली जायेंगी तथा उस अवधि की विचारणीय अवधि की सबसे पहली प्रविष्टियाँ विलुप्त मानी जायेंगी।

श्रेणी-2 मुख्य अभियंता |स्तर-1| एवं समकक्ष पद हेतु सत्तर |70| प्रतिशत |अर्थात 140| अंक | तथा

मुख्य अभियंता |स्तर-2| एवं समकक्ष पद हेतु पैंसठ |65| प्रतिशत |अर्थात 130| अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी श्रेणी-2 में वर्गीकृत होंगे।

श्रेणी-3 श्रेणी-2 में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के मापदण्डों से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी श्रेणी-3 में वर्गीकृत होंगे।

|viii| चयन तथा चयन सूची का तैयार किया जाना

|क| पूर्वांकित प्रस्तर- |vii| के अनुसार श्रेणी-3 में वर्गीकृत अभ्यर्थी किसी भी पद पर चयन हेतु उपयुक्त नहीं होंगे।

|ख| प्रस्तर |vii| के अनुसार वर्गीकृत/वर्गीकरण करने के पश्चात सर्वप्रथम श्रेणी-1 के अभ्यर्थियों में से उनके वरिष्ठता क्रम के अनुसार चयन किया जायेगा। तदनन्तर आवश्यकतानुसार श्रेणी-2 के अभ्यर्थियों में से शेष रिक्तियों के लिए चयन किया जायेगा। इस प्रकार विभिन्न वर्गों के श्रेणी-1,2 में से चयनित समस्त अभ्यर्थियों के नाम उनके मूल वरिष्ठता क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित करके चयन सूची |सेलेक्ट लिस्ट| बनाई जायेगी जो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता सूची होगी तथा इसी वरिष्ठता सूची के क्रमानुसार ही नियुक्ति आदेश जारी किए जायेंगे।

2. जहाँ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता मापदण्ड है

मुख्य अभियंता |स्तर-1|/|स्तर-2| एवं समकक्ष पदों से निम्न स्तर के पदों के अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन इस मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।

|1| पात्रता नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ग अर्थात सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ज्येष्ठतम अर्ह अभ्यर्थियों को अलग-अलग तीन सूचियाँ उक्त वर्ग के लिए उपलब्ध

रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा, जिसमें यथा सम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम लिए जायेंगे:-

एक से पांच रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का दुगना, किन्तु कम से कम पांच
पांच से अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना, किन्तु कम से कम दस ।

परन्तु अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा कि यदि जहाँ एक से अधिक वर्ष की रिक्तियों के लिए की जाती है तब उस स्थिति में अलग-अलग वर्षों के सम्बंध में अलग-2 पात्रता सूची तैयार की जायेगी तथा ऐसी सूची बनाते समय उसमें पात्र अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार रखी जायेगी :-

(क)	दूसरे वर्ष के लिए	उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ।
(ख)	तीसरे वर्ष के लिए	उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम व द्वितीय वर्षों की रिक्तियों की संख्या का योग ।

(III) चयन हेतु विचारणीय अवधि

(क) चयन हेतु प्रोन्नति के पद से ठीक पिछले पद पर की गई सेवा की अवधि अथवा दस वर्ष, जो भी कम हो, की वार्षिक चरित्र पंजिका (सी.आर.डोजियर)/सेवा अभिलेख (पर्सनल फाइल) विचार में लिए जायेंगे ।

(ख) तीन महीने से कम अवधि की प्रविष्टियाँ विचार में नहीं ली जायेंगी।

(ग) कम से कम चार माह अथवा उससे अधिक की प्रविष्टि उपलब्ध होने पर, उस प्रविष्टि को, पूरे वर्ष की प्रविष्टि माना जायेगा ।

(घ) किसी भी अवधि की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न होने की दशा में सम्बन्धित वर्ष के बाद के लगातार तीन वर्षों तक सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी चयन हेतु उपयुक्त नहीं माना जायेगा ।

(IV) चयन समिति

विभिन्न नियमों/परिपत्रादेशों (यथा संशोधित) द्वारा घोषित चयन समिति का गठन किया जायेगा ।

चरित्र पंजिका के अभिलेख

(क) विचाराधीन सेवा अवधि में दिए गए दण्डों के सम्बन्ध में जिस वर्ष दण्ड दिया गया है उस वर्ष की प्रविष्टि खराब/प्रतिकूल मानी जायेगी दण्ड लघु या वृहद हो सकता है। जहाँ किसी अधिकारी को वृहद दण्ड प्रदान किया गया हो वहाँ उसकी एक गोपनीय प्रविष्टि उस वर्ष की खराब मानी जायेगी, जिस वर्ष उसे दण्ड प्रदान किया गया है। परन्तु यदि लघु दण्ड स्वरूप उसकी एक या एक से अधिक वेतन

वृद्धि रोकी गई हो अथवा वृहद दण्ड प्रदान किया गया हो तो उन मामलों में जिस वर्ष उसको दण्ड दिया गया है उस वर्ष की प्रविष्टि खराब/प्रतिकूल मानी जाने के अलावा प्रतिचिन्हित वर्ष/वर्षों की प्रविष्टि प्रतिकूल माने जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित चयन समिति द्वारा, दिये गये दण्ड को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लिया जायेगा ।

(ख) परिपत्रादेश संख्या 6900-सी.एस/65-9सी.एस/70, दिनांक 30.5.1985, अन्य संगत आदेशों एवं उनके संशोधन यदि कोई हो, के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

चयन तथा चयन सूची को तैयार किया जाना ।

(क) अधिशासी अभियंता एवं अन्य संवर्गों के समकक्ष स्तर तक के पदों पर प्रोन्नति हेतु "अनुपयुक्त" ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों (दण्ड के फलस्वरूप मानी गई खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए) की संख्या चार अथवा उससे अधिक है । -4

प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो वार्षिक गोपनीय आख्यायें, अन्तिम वर्ष को सम्मिलित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा ।

दस वर्ष से कम की विचारणीय सेवा अवधि के मामलों में उपर्युक्तानुसार खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों की संख्या 40 (चालीस) प्रतिशत अथवा उससे अधिक होगी । 40%

(ख) अधीक्षण अभियंता एवं अन्य संवर्गों के समकक्ष स्तर के पदों पर प्रोन्नति हेतु अनुपयुक्त ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा, जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों (दण्ड के फलस्वरूप मानी गई खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए) की संख्या तीन अथवा उससे अधिक हो। प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो वार्षिक गोपनीय आख्यायें, अन्तिम वर्ष को सम्मिलित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा ।

दस वर्ष से कम की विचारणीय सेवा अवधि के मामले में उपर्युक्तानुसार खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों की संख्या 30 (तीस) प्रतिशत अथवा उससे अधिक होगी ।

(ग) इस सिद्धान्त के अनुसार रिक्तियों को देखते हुए उसके अनुपात में निर्धारित संख्या के पात्रता क्षेत्र के अभ्यर्थियों के नामों पर ज्येष्ठता क्रम में विचार किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम ज्येष्ठतम अभ्यर्थी के नाम पर विचार कर उसे उपयुक्त या अनुपयुक्त घोषित करने के बाद दूसरे तथा तीसरे और आगे इसी प्रकार के अभ्यर्थियों

के नामों पर विचार किया जाना चाहिए, जब तक रिक्तियों की तुलना में वांछित संख्या में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जाय। जब प्रोन्नति के लिए वांछित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाय तब उसके बाद के अभ्यर्थियों के नामों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विभिन्न वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों के नाम उनके मूल वरिष्ठता क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित करके चयन सूची [सेलेक्ट लिस्ट] बनाई जायेगी, जो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता सूची होगी तथा इसी वरिष्ठता सूची के क्रमानुसार ही नियुक्ति आदेश जारी किए जायेंगे ।

3. उपर्युक्तानुसार दोनों प्रकार के चयनों हेतु निर्धारित मापदण्डों से अनावरित बिन्दु के सम्बन्ध में चयन समिति अपने विवेक से निर्णय लेगी ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
"शक्ति भवन," 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या-1585-काविनी/राविप-29/2000-14-काविनी/87 दिनांक-11 जनवरी, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

परिषद में विभागीय चयन समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर भरे जाने वाले सभी संवर्गों के पदों पर "श्रेष्ठता" एवं "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के मापदण्डों के आधार पर प्रोन्नतियां किये जाने से संबंधित प्रक्रिया निर्धारण विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-1327-काविनी/राविप-29/96-14-काविनी/87, दिनांक 11 जुलाई, 1996 के साथ संलग्न चयन प्रक्रिया के मापदण्ड/अनुदेशों के मद-2 के बिन्दु (IV) (क)-(चयन तथा चयन सूची का तैयार किया जाना) में, जैसा कि अधोलिखित तालिका के कालम-1 में निर्दिष्ट है, को एतद्द्वारा कालम-2 में निर्दिष्ट व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

विद्यमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
-1-	-2-
2. जहां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता मापदण्ड है	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
(IV) चयन तथा चयन सूची का तैयार किया जाना।	
(क) अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य संवर्गों के समकक्ष स्तर तक के पदों पर प्रोन्नति हेतु "अनुपयुक्त" ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों (दण्ड के फलस्वरूप मानी गयी खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए) की संख्या चार अथवा उससे अधिक है//प्रतिबन्ध यह होगा कि संबंधित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो वार्षिक गोपनीय आख्यायें, अन्तिम वर्ष को सम्मिलित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा।	(क) अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य संवर्गों के समकक्ष स्तर तक के पदों पर प्रोन्नति हेतु "अनुपयुक्त" ऐसे अभ्यर्थी को माना जाएगा जिसका दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों (दण्ड के फलस्वरूप मानी गई खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए) की संख्या चार अथवा उससे अधिक है//प्रतिबन्ध यह होगा कि संबंधित अधिकारी की अंतिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो गोपनीय आख्यायें, अन्तिम वर्ष को सम्मिलित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा। अन्तिम वर्ष की वार्षिक गोपनीय आख्या को लघु दण्ड के कारण खराब माने जाने या अथवा के बारे में निर्णय संबंधित चयन समिति द्वारा लिया जाएगा।

-1-	-2-
दस वर्ष से कम की विचारणीय सेवा अवधि के मामलों में उपयुक्तानुसार खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों की संख्या- 40 (चालीस) प्रतिशत अथवा उससे अधिक होगी।	दस वर्ष से कम की विचारणीय सेवा अवधि के मामलों में उपयुक्तानुसार खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों की संख्या-40 (चालीस) प्रतिशत अथवा उससे अधिक होगी।

2. परिषदीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-1327-कार्मिनी/रा०मि०-25/80-14-कार्मिनी/87, दिनांक 11 जुलाई, 1996 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-287-कार्मिनी/रा०मि०-25/87-14कार्मिनी/87, दिनांक 25 फरवरी, 1997 में निहित अन्य प्राविधान यथावत् प्रभावी होंगे।

परिषद की आज्ञा से,

भुवन चन्द्र पाण्डे
सचिव

संख्या-1585(1)कार्मिनी/रा०मि०-29/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त आशय से प्रेषित कि वे कृपया विचारणीय चयनों में परिषद द्वारा निर्धारित/चयन प्रक्रिया का अनुपालन अपने एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें:-

(1) अध्यक्ष के प्रमुख निजी सचिव एवं संयुक्त सचिव, उ०प्र०रा०वि०प०।
(2) सदस्य (वित्त एवं लेखा)/(वितरण)/(पारेषण)/(उत्पादन), उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद।
(3) सचिव/अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय) के निजी सचिव/विधि अधिकारी/निदेशक (कार्मिक), उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद।
(4) समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 व 2)/समस्त निदेशक, उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद।
(5) समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद।
(6) मुख्य निदेशक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
(7) मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
(8) परिषद मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण/[illegible] उपयुक्तानुसार-संख्या-7(?)/1999 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

(किशन लाल)
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
"शक्ति भवन," 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या-1252-काविनी/पाकालि-29/2001-14काविनी/87, दिनांक-29 अगस्त, 2001।

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि० में विभागीय चयन समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर भरे जाने वाले सभी संवर्गों के पदों पर "श्रेष्ठता" एवं "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के मापदण्डों के आधार पर प्रोन्नति किये जाने से संबंधित प्रक्रिया विषयक पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1327-काविनी/राविप-29/96-14-काविनी/87, दिनांक 11 जुलाई, 1996 सपठित कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-952-काविनी/पाकालि-29/2001-14-काविनी/87, दिनांक 09.7.2001 के साथ संलग्न प्रक्रिया अनुदेशों में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1327-काविनी/राविप-29/96-14-काविनी/87, दिनांक 11.7.96 के प्रस्तर 2(क) जैसा कि अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-1 में निर्दिष्ट है, को स्तम्भ-2 में निर्दिष्ट व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

विद्यमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
(1)	(2)
(2) चयन तथा चयन सूची को तैयार किया जाना।	
(क) अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य संवर्गों के समकक्ष स्तर तक के पदों पर प्रोन्नति हेतु "अनुपयुक्त ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों (दण्ड के फलस्वरूप मानी गयी खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए) की संख्या चार अथवा उससे अधिक है।	- यथावत् अर्थात कोई परिवर्तन नहीं।
-प्रतिबन्ध यह होगा कि संबंधित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो वार्षिक गोपनीय आख्यायें, अन्तिम वर्ष को सम्मिलित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा।	- प्रतिबन्ध यह होगा कि संबंधित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से कोई दो वार्षिक गोपनीय आख्यायें ठीक होना आवश्यक होगा।

—2—

19-A

11

-दस वर्ष से कम-की विचारणीय सेवा अवधि के मामलों में उपर्युक्तानुसार खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों की संख्या 40 (चालीस) प्रतिशत अथवा उससे अधिक होगी)	- यथावत् अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं।

2- (1) उपर्युक्त संशोधित व्यवस्था चयन वर्ष 2001-2002 से ही लागू होगी। पूर्व वर्षों में लिये गये निर्णय पुनरोद्घाटित नहीं किये जायेंगे।

3- पूर्ववर्ती परिषद् के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1327-कार्मिनी/रा0वि0प-29/96-(4-का0मिनी/87, दिनांक 11 जुलाई, 1996 में निहित अन्य प्राविधान यथावत् प्रयोज्य होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

पी. आर. सिंह
निदेशक (का0उ0 एवं प्रशासन)

संख्या-1252 (1) कार्मिनी/पाका0लि-29/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
(1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(2) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
(3) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(4) समस्त निदेशकगण के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(5) समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(6) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, 4-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
(7) समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(8) महाप्रबन्धक, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(9) समस्त उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(10) कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 18. 7. 2001 में मद संख्या-बाइस (30) 2001 पर लिये गये निर्णय के संदर्भ में।
(11) समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(12) समस्त अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद) 7. 8. 2001
उप महाप्रबन्धक (कार्मिनी)